



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श०)

(सं० पटना 741) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 2@।h0&1041@2009-7922/सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

2 अगस्त 2021

श्री अजय कुमार सिंह (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 838/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद के विरुद्ध इंदिरा आवास आवंटन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप के लिए उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक 820 दिनांक 25.07.2005 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

2. श्री सिंह के विरुद्ध आरोप है कि :-

- (i) इंदिरा आवास योजना सं० 19/97-98, जो श्रीमती लीलमनि मंझियान, पति-स्व० रुपलाल मांझी, ग्राम-जरमुनय, मिरचाकोचा, पंचायत-धारकिरो के नाम से है। इस योजना में दिनांक 11.01.2003 को इनके द्वारा अंतिम भुगतान किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि श्रीमती लीलमनि मंझियान की मृत्यु भुगतान की तिथि से लगभग एक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। जाँच के क्रम में यह भी पाया गया है कि 20' X 20' लम्बाई एवं 10' उचाई तक केवल दिवाल खड़ा है तथा छत की ढलाई भी नहीं हुई है, परन्तु इनके द्वारा योजना का अंतिम भुगतान कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया, जो घोर अनियमितता है।
- (ii) इंदिरा आवास योजना सं० 02/97-98, जो श्री मागा टुडू, पिता-स्व० पोल्हा टुडू, सा०-जरमुनय, मिरचा कोचा, पं०-धारकिरो के नाम से है। इस योजना में दिनांक 11.01.2003 को अंतिम भुगतान स्वरूप 10,000.00 (दस हजार) रुपये का भुगतान किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री मागा टुडू का देहान्त भुगतान की तिथि से लगभग दो वर्ष ही हो चुका था तथा उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। यह योजना भी अधूरी है एवं लिंटल एरिया तक बना हुआ पाया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना में इनके द्वारा गलत तरीके से भुगतान किया गया तथा सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है, जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता है।

- (iii) इंदिरा आवास योजना सं० 09/97-98, जो मंगल मांझी, पति-स्व० लारंगा मांझी के नाम से है। इस योजना में दिनांक 11.01.2003 को अंतिम भुगतान किया गया है। जाँच के क्रम में पाया गया कि मंगल मांझी का देहान्त भुगतान की तिथि से दो वर्ष पूर्व हो चुकी था उसकी पत्नी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी। जाँच के क्रम में योजना अधूरा पाया गया। मकान प्लॉथ एरिया से कुछ उपर तक बना हुआ पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा गलत तरीके से भुगतान किया गया है, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है, जो घोर अनियमितता है।

- (iv) इंदिरा आवास योजना सं० 10/97-98, जो श्री दशरथ टुडू, पति-स्व० भिखू टुडू, ग्राम-जरमुनय, मिरचाकोचा, पं०-धारकिरो के नाम से है। इस योजना में भी दिनांक 11.01.2003 को अंतिम भुगतान किया गया है। जाँच के क्रम में पाया गया कि दशरथ टुडू का देहान्त अंतिम भुगतान के लगभग दो वर्ष पूर्व ही डायरिया के प्रकोप से हो गया था। मकान का छत ढलाई तक पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना में भी इनके द्वारा अंतिम भुगतान गलत तरीके से किया गया, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है।

- (v) इंदिरा आवास योजना सं० 01/97-98, जो श्री मोतीलाल सोरेन, पति-ननकु सोरेन, ग्राम-जरमुनय, मिरचाकोचा, पं०-धारकिरो के नाम से है। इस योजना में भी दिनांक 11.01.2003 को इनके द्वारा अंतिम भुगतान किया गया है। जाँच के क्रम में पाया गया है कि यह जीवित है, परन्तु लगभग एक साल से अधिक अवधि से चल-फिर नहीं सकता है। इनकी पत्नी तथा पुत्र नहीं है तथा बेटी की शादी हो चुकी है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा गलत तरीके से राशि का भुगतान किया गया है, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है।

- (vi) इंदिरा आवास योजना सं० 23/97-98, जो श्री अमिन मुर्मू, पति-लखीराम मुर्मू, ग्राम-जरमुनय, मिरचाकोचा, पंचायत-धारकिरो के नाम से है। जाँच के क्रम में पाया गया कि इनका मकान स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है। मकान 23' X 15' लम्बाई, चौड़ाई में है एवं उँचाई लगभग 8' है। दिवाल ईट का है जो सिमेंट का जोड़ाई है एवं छत खपरैल है। लाभान्वित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि इस योजना में 17,500.00 रुपये मिला है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस योजना के निर्माण में भी अनियमितता बरती गयी है।

3. श्री अजय कुमार सिंह पूर्व में झारखंड राज्य के बाघमारा, धनबाद में पदस्थापित थे। इनके विरुद्ध गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 1932 दिनांक 01.04.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

इस बीच कार्मिक विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 4800 दिनांक 06.09.2006 द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण के आधार पर श्री अजय कुमार सिंह को बिहार राज्य आवंटित हुआ एवं उन्हें झारखंड राज्य से बिहार में योगदान के लिए विरमित कर दिया गया। इस कारण श्री सिंह के विरुद्ध आरोपों से संबंधित प्रस्तुत संचिका कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार को झारखंड सरकार से कार्रवाई हेतु प्राप्त हुई। फलतः विभागीय पत्रांक 6038 दिनांक 25.06.2009 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण किया गया। उक्त के आलोक में श्री सिंह के पत्रांक 580 दिनांक 18.08.2009 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 9954 दिनांक 07.10.2009 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से मंतव्य की मांग की गयी। इस बीच श्री सिंह के पत्रांक 803 दिनांक 09.10.2009 द्वारा पूरक स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए मामले से संबंधित कुछ कागजात की मांग की गयी।

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक 127 दिनांक 01.02.2010 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य एवं पत्रांक 1005 दिनांक 16.07.2010 द्वारा याचित कागजात उपलब्ध कराया गया। श्री सिंह को उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त कागजात उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक 4987 दिनांक 31.03.2015 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। उक्त के आलोक में श्री सिंह के पत्रांक 57 दिनांक 15.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण निम्नलिखित है :-

“मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा (झारखंड) के रूप में वर्ष 2000 से 17.05.2003 तक कार्यरत था। इस दौरान वर्ष 1997 में क्रियान्वित छः इंदिरा आवासों के भुगतान में अनियमितता दर्शाते हुए लाभार्थियों में से चार को मृत बताया गया। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया था कि इंदिरा आवास के मामले में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतते हुए तत्परता से कैम्प लगाकर अथवा तिथि निर्धारित कर भुगतान की कार्रवाई की जाए। निर्धारित कैम्प/तिथि के पूर्व पंचायत सेवकों से इंदिरा आवास पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए उनके पहचान पर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करना था। ज्ञात हो कि वर्णित सभी छः मामलों में संबंधित पंचायत सेवक द्वारा इंदिरा आवास पूर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत कार्यालय द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किया गया (पंचायत द्वारा अनुशंसा/पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)। मेरे आदेश के उपरांत प्रखंड नाजिर द्वारा संबंधित पंचायत सेवक के पहचान पर भुगतान की कार्रवाई की गई। इसके पूर्व पंचायत सेवक से इंदिरा आवास पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना

एवं संबंधित पंचायत सेवक द्वारा पहचान करने के पश्चात् प्रखंड नाजिर द्वारा लाभुकों को भुगतान करने के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा न तो किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी और न ही किसी प्रकार की लापरवाही की गयी। बल्कि मेरे द्वारा कार्यहित में अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया। उपरोक्त इंदिरा आवास लाभुकों को दिनांक 11.01.2003 को भुगतान किया गया। जांच प्रतिवेदन में छः में से चार—1. श्री दशरथ दुडू, पति—स्व० भिखू दुडू, 2. मंगल मांझी, पति—स्व० लारंगा मांझी, 3. श्री मागा दुडू, पिता—स्व० पोल्हा दुडू एवं 4. श्रीमती लीलमुनि मंझियान, पति—स्व० रूपलाल मांझी का देहांत भुगतान के पूर्व बताया गया है। प्राप्त मृत्यु प्रमाण—पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री दशरथ दुडू, पति—स्व० भिखू दुडू का देहांत दिनांक 22.03.2003 तथा मंगल मांझी, पति—स्व० लारंगा मांझी का देहांत दिनांक 17.04.2003 को हुआ है (मृत्यु प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि लाभुकों का देहांत भुगतान प्राप्त करने के उपरांत हुआ है। परंतु जांच प्रतिवेदन में भुगतान के पूर्व ही मृत बताया गया है। स्पष्ट है कि लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हैं एवं इसमें कहीं—न—कहीं षडयंत्र के तहत् की गयी कार्रवाई प्रतीत होती है।

उपरोक्त मामले में संबंधित पंचायत सेवक पर कार्रवाई के उपरांत भुगतान की राशि की वसूली करते हुए प्रखंड नजारात में जमा करा ली गयी है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्रवाई में संबंधित पंचायत सेवक को ही दोषी माना गया है। ऐसी परिस्थिति में मेरे उपर किसी भी प्रकार की सलिप्तता या अनियमितता का आरोप लगाना न्याय संगत नहीं है। इस संबंध में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा के पत्रांक अस्पष्ट दिनांक 31.12.2007 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि तत्कालीन पंचायत सेवक, श्री अर्जुन रजक को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के उपरांत निलंबन से मुक्त किया गया। उनके द्वारा पत्र में यह भी उद्धृत किया गया है कि पंचायत सेवक के पहचान पर भुगतान की कार्रवाई के संबंध में मेरा कोई दोष प्रतीत नहीं होता है (प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

उल्लेखनीय है कि प्रखंड में आहत साप्ताहिक बैठक में मेरे द्वारा सभी पंचायत सेवकों को स्पष्ट निदेश/आदेश दिया जाता रहा है कि किसी भी भुगतान की अनुशंसा बिना स्थल निरीक्षण के नहीं की जाय। इसके साथ ही इस बात की सख्त ताकीद मेरे द्वारा की जाती रही है कि भुगतान पाने वाले व्यक्ति की पूर्णरूपेण पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत ही अभिलेख मेरे समक्ष उपस्थापित किया जाय (साप्ताहिक बैठक के कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त के आलोक में सादर निवेदन है कि इंदिरा आवास के लाभुकों को की गयी भुगतान के पूर्व की सारी प्रक्रिया पूर्ण की गयी एवं नियमानुसार प्रखंड नाजिर के द्वारा उचित पहचान पर लाभुकों को भुगतान किया गया। ज्ञात हो कि वर्णित इंदिरा आवास वर्ष 1997-98 से ही क्रियान्वित थे। किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी इंदिरा आवासों का निरीक्षण करना संभव नहीं है। भुगतान की प्रक्रिया में मेरे द्वारा कार्यहित में पंचायत सेवक के पहचान के आधार पर भुगतान का आदेश दिया गया। यदि इसमें गड़बड़ी हुई है तो निरीक्षण कर भुगतान की अनुशंसा एवं व्यक्ति की पहचान के उपरांत भुगतान करवाने वाले पंचायत सेवक ही दोषी हैं। मेरे द्वारा मात्र कार्यहित में नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है न कि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा गलत मंशा से कार्य किया गया है। मेरे उपर लगाये गये आरोप बेबुनियाद तथा तथ्य से परे हैं। यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि मैं इतने दिनों से बेवजह बिना कोई गलत कार्य किये मानसिक यंत्रणा झेल रहा हूँ।

श्री सिंह द्वारा समर्पित उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, धनबाद से मंतव्य की मांग की गयी। मंतव्य अप्राप्त रहने की स्थिति में ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड से विभागीय पत्रांक 16395 दिनांक 03.12.2019 एवं कई स्मार पत्रों द्वारा मंतव्य की मांग किये जाने के बावजूद मंतव्य अप्राप्त रहा।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपान्त पाया गया कि :-

- (क) श्री सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इंदिरा आवास के लाभुकों को मृत्यु से पहले भुगतान किया गया है, जबकि आरोप में लाभुकों को मृत्यु के उपरांत भुगतान किये जाने का आरोप प्रतिवेदित है।
- (ख) श्री सिंह के द्वारा पंचायत सेवक के पहचान तथा पूर्णतः प्रतिवेदन को आधार मानकर लाभुकों के देहांत के पश्चात आवास निर्माण हेतु अंतिम भुगतान कर दिया गया। श्री सिंह को भुगतान से पूर्व लाभुकों के संबंध में स्वयं सुनिश्चित होना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।
- (ग) उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि श्री सिंह द्वारा मृत व्यक्तियों के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को राशि का भुगतान कर दिया गया है।

श्री सिंह का उक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) का उल्लंघन है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संलग्न साक्ष्यों के आधार पर उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाया गया एवं जनता के लिए इंदिरा आवास जैसी कल्याणकारी योजना में बरती गई अनियमितता के लिए (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2003), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री अजय कुमार सिंह (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 838/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद सम्प्रति उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधुबनी के विरुद्ध

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2003),

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 741-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>